क्रम-संख्या 133 (ख)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

इलाहाबाद, वृहस्पतिवार, 23 मई, 2013 ई0
(ज्येष्ठ 2, 1935 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम विभाग
अनुभाग-6
सं0 359/छत्तीसः-6-2013-5(5)/2011
लखनऊ, दिनांक : 23 मई, 2013 ई0

अधिसूचना

प0आ0–83

चूंकि राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी अधिसूचना संख्या 815/छत्तीसः-6-2012-5(5)/2011, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 में उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिष्ठानों के कतिपय वर्गों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1948) के उपबन्धों को उक्त अधिसूचना के दिनांक से एक महीने के पश्चात् विस्तारित करने के अपने आशय की नोटिस दे दी थी।

और चूंकि उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में एक माह की उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतएव, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1948) की धारा 1 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूची के स्तम्भ (1) में दिये गये और स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित अधिष्ठानों के वर्गों के लिये उक्त अधिनियम के उपबन्धों को एतद्द्वारा विस्तारित करती है।

अनुसूची

अधिष्ठानों का विवरण	क्षेत्र जहां स्थापना स्थित है
1	2
निम्नलिखित अधिष्ठान, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे, अर्थात्– (1) दुकान ; (2) होटल ; (3) रेस्तरॉ ; (4) सड़क मोटर परिवहन अधिष्ठान ; (5) पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमाघर ; (6) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) की धारा 2(घ) में यथा परिभाषित समाचार-पत्र अधिष्ठान ; (7) व्यक्तिगत, न्यासियों, सोसाइटियों अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलायी जाने वाली शैक्षणिक संस्थायें (सार्वजनिक, निजी सहायता प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सहित) ; (8) चिकित्सा (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल नर्सिंग होम, निदान केन्द्र, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला सहित) ;	सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध पहले से ही लागू किये जा चुके हैं।

आज्ञा से,
शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 359/36-6-2013-5(5)/2011,** dated May 23, 2013 for general information :

No. 359/36-6-2013-5(5)/2011

Lucknow Dated : *May* 23, 2013

WHEREAS the State Government in Consultation with the Employees State Insurance Corporation and with the approval of Central Government gave notice of its intention in Government notification **no. 815/36-6-2012-5(5)/2011,** dated December 13, 2012 to extend the provisions of the Employees State Insurance Act, 1948 (Act no. 34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification.

AND whereas, no objection or suggestion have been received within the said period of one month in respect of said notificaiton.

NOW, therefore, in exercise of the powers under sub-section (5) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (Act no. 34 of 1948), the State Government of Uttar Pradesh in Consultation with the Employees State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, hereby extends the provisions of the said act to the classes of establishments in column (1) and situated within the areas specified in Column (2) of the Schedule in State of Uttar Pradesh :

SCHEDULE

Description of Establishments	Areas in which the establishments are situated
1	2
The following establishments in which ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, namely-- (1) Shops ; (2) Hotels ; (3) Restaurants ; (4) Road Motor Transport establishments ; (5) Cinemas including perview theatres ; (6) Newspaper establishments as defined in section 2(*d*) of the working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (Act no. 45 of 1955) ; (7) Educational Institutions (including public, Private aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations ; (8) Medical Institutions (including corporate, joint sector, trust charitable and private ownership Hospitals, Nursing Homes, Diagnostic Centres, Pathological Labs.	All areas where the provisions of the E.S.I. Act, 1948 have already been brought into force under sub-section 3 of Section 1 of the Act.

By order,
SHAILESH KRISHNA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू०पी०–16 असाधारण गजट–12-06-2013–597+200 प्रतियां (डी०टी०पी० / आफसेट)।